


23.11.2020

पगावली आज पेश हुई। वकील
वादी उपास्थित। प्रतिवादी सख्खा उ के
वकील श्री केलारा पुटी उपास्थित।
चूंकी मूल वाद विप्रापी सख्खा उ द्वारा
प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11(5)
CPC की स्वीकार कर खासिज किया
जा चुका है। जिससे अब उक्त अवगत
पुकरण में कोई अनुरोप शेष नही रहा।

अतः उक्त न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम
आदेश 06.03.2020 को निरस्त किया जाकर
उक्त अवगत पुकरण विप्रापी उ वकील
द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11(5)
CPC के तहत खासिज किया जाता है।
पगावली केवल सुमाट होकर वासिल
दफतर है।


सहायक कलक्टर
(SDO) सिवाना

